न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–135/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/135)

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
3. महेन्द्र सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
4. मानकंवर पत्नि जगन्नाथ सिंह
5. ओम कंवर पत्नि भगवान सिंह
6. कानसिंह पुत्र भगवान सिंह
7. भंवर कंवर पत्नि भंवर सिंह (फौत होने से नाम तर्क)
8. दुर्गेश सिंह पुत्र भंवर सिंह
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह
10. नारायण सिंह पुत्र चतर सिंह
11. हनुमान सिंह पुत्र दशरथ सिंह
12. भागीरथ सिंह पुत्र दशरथ सिंह
13. गणपत सिंह पुत्र दशरथ सिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम कणोंज, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम

1. श्रीमती गिरिराज कंवर पत्नि श्री बृजभान सिंह, जाति राजपूत, निवासी केक, तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. पिंकी कंवर पुत्री जगन्नाथ सिंह
3. दीप सिंह पुत्र भगवान सिंह
4. छोटू कंवर पुत्री भगवान सिंह
5. ढमराज कंवर पुत्री भगवान सिंह
6. नेराज कंवर पुत्री भगवान सिंह
7. भंवर कंवर पुत्री भगवान सिंह (फौत)
8. विष्णु कंवर पुत्री भगवान सिंह
9. संतोष कंवर पुत्री भगवान सिंह
10. ज्ञान कंवर पत्नि दशरथ सिंह (फौत होने से नाम तर्क)
11. उच्छव कंवर पुत्री दशरथ सिंह
12. ओम कंवर पुत्री दशरथ सिंह
13. हेम कंवर पुत्री दशरथ सिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम कणोंज, तहसील केकडी जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

2.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, राजस्व वाद संख्या 374/2016

उपस्थितः–

1. श्री वी0पी0सिंह रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री समीर अहमद खान रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री एस0पी0औझा रेस्पोडेंट संख्या 3,5,9
4. रेस्पोडेंट संख्या 2,4,6,8,11 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–02.11.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 374/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 एवं 7 लगायत 13 के विरूद्ध एक वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वादीया विवादित भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदार है लेकिन वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं होने से आए दिन विवाद होता रहता है। अतः विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादीया को उसके हिस्से के अनुसार नाप चौप कर भूमि संभलाई जावे एवं तदनुसार प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। उक्त वाद पत्र के नोटिस कभी भी प्रतिवादीगण पर तामिल नहीं हुए एवं गैर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। यहां तक कि अपीलांट संख्या 6 व 7 एवं उनके पिता को विवादित भूमि में सह खातेदार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया एव ना ही किसी प्रकार का नोटिस ही जारी किया गया। तत्पश्चात बिना शहादत एवं साक्ष्य वादी लिए उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं तहसीलदार केकडी को 300– रूपए की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात तहसीलदार, केकडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना अपीलांटस/प्रतिवादीगण को नहीं दी गई एवं एक तरफा में पटवारी एवं गिरदावर हल्का ने उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्देशों की अवमानना करते हुए एक कागजी विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अपीलांटस के कब्जेशुदा विकसीत भूमि पर रेस्पोडेंट को हिस्सा देते हुए प्रस्ताव तहसीलदार को भिजवाए एवं तहसीलदार ने काउन्टर हस्ताक्षर कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, केकडी को प्रेषित किए। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 4.3.2021 द्वारा प्रस्तुत

2.11.2023

बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी जिसकी कोई जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं हो सकी जब रेस्पोडेंटस संख्या 1 के पति पटवारी हल्का के साथ मौका पर नाप चौप करने एवं अपीलांटस के कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करने की नियत से आए एवं धमकी दी कि यह भूमि उपखण्ड अधिकारी केकडी के निर्णय व डिक्री से हमारे हिस्से में आई है एवं अब हम इस पर काबिज होकर रहेंगे जिस पर अपीलांटस ने केकडी जाकर इस बाबत तहकीकात की एवं पता चलने पर समस्त आवश्यक दस्तावेज हेतु उसी दिन दिनांक 16.5.2022 को नकल हेतु आवेदन किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त कर दिनांक 17.5.2022 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क किया एवं अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 374/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2,4,6,8,11 से 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रस्तुत वाद बंटवारे का वाद था जिसमें सभी रिकार्डेड को-टिनेन्ट को पक्षकार बनाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था एवं किसी भी एक सह खातेदार को पक्षकार बनाए बिना बंटवारे का वाद चलने योग्य ही नहीं था जबकि प्रस्तुत प्रकरण में दावा दायरी के रोज भगवान सिंह पुत्र चतर सिंह 1/30 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार थे जिन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत बंटवारे का वाद चलने योग्य नहीं था, फिर भी उपखण्ड अधिकारी केकडी ने नॉन मेंटीनेबल वाद को डिक्री फरमाने में भारी कानूनी एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादीया द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद में न केवल वादीया के हक व हिस्से का बंटवारा किया जाना था बल्कि संपूर्ण सह खातेदारान के हक व हिस्से का भी विभाजन किया जाना आवश्यक था लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी केकडी ने केवल वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से का विभाजन कर शेष भूमि को अविभाजित ही रखा दिया है जो कतई गैर कानूनी एवं अविधिक होने से निरस्तनीय है क्योंकि एक ही भूमि के संबंध में पृथ्क-पृथ्क सह खातेदारान द्वारा पृथ्क-पृथ्क बंटवारे का वाद नहीं लाया जाएगा कानून के तहत एक ही विभाजन के वाद में उसमें निहित संपूर्ण भूमि का समस्त सह खातेदारान के मध्य अंतिम रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी केकडी ने कानूनी बिंदुओ को नजरअंदाज कर मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 को नाजायज लाभ देने की गरज से जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया की कोई साक्ष्य ही नहीं ली गई एव ना ही वादीया स्वयं ने विटनेस बॉक्स में आकर अपने वाद को साबित ही करवाया और ना ही उसके द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज को प्रदर्श मार्क ही अंकित करवाया गया। ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य वादी के कोई भी दावा सत्यापित एवं साबित नहीं माना जा सकता और ना ही ऐसे वाद में किसी प्रकार का निर्णय व डिक्री ही पारित किया या सकता है। प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात एवं अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व एवं बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नियत तिथि की पूर्व सूचना एवं नोटिस दिया जाना कानूनन बाध्यकारी है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस अपीलांटस को जारी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

2.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी

ही नही किया गया एवं एक तरफा तौर पर वादीया द्वारा चाहे गए हिस्से पर वादीया का हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार विहीन रूप से पटवारी एवं गिरदावर हल्का द्वारा तैयार कर भिजवा दिए गए जो किसी भी रूप में कानून सम्मत नहीं थे एवं उस विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार केकडी द्वारा मात्र काउन्टर हस्ताक्षर करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकडी को भिजवा दिया गया एं उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने एक तरफा तौर पर वादीय की सहमति एवं स्वीकृति से अंतिम डिक्री जारी कर दी जो कतई गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है। बंटवारे का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर से कम अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता इस संबंध मे राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने भी महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए सतरत्त अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्देश जारी किए हुए है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त करने के बावजूद कमिश्नर ने स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी एवं गिरदावर हल्का को अपने पावर डेलिगेट कर दिए एंव पटवारी व गिरदावर हल्का जो कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत एंव सक्षम नहीं थे, द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर काउन्टर हस्ताक्षर कर प्रति प्रेषित कर दिए जो कतई गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहीन कृत्य था फिर भी उपखण्ड अधिकारी केकडी ने कानूनी बिंदु को नजरअंदाज कर जो अंतिम डिक्री पारित की है वह कतई गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यु टिनेंसी रूल्स 1955 के तहत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन सभी पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाना मेंडेटरी है इसी प्रकार रास्ते की उपलब्धता मूल सडक से लगती हुई भूमि एवं पूर्व धारित कब्जे के महत्वपूर्ण तथ्य को भी मध्यनजर रखा जाएगा एवं जहां तक संभव हो सके किसी कब्जेधारी सह खातेदार को उसके हिस्से से मनमाने तौर पर बेदखली नहीं किया जाएगा लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में वादीया का कोई कब्जा विवादित भूमि पर कभी नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन डिक्री के माध्यम से वादीया को अपीलांटस के हक व हिस्से में पुरातन से चली आ रही कब्जेशुदा एवं विकसित भूमि पर कब्जा देने की नियत से जो अंतिम डिक्री पारित की गई है वह कतई गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 374/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत बंटवारा हेतु प्रसतुत कर कथन किया कि ग्राम कणोज की राजस्व जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 61–3 में वर्णित भूमि कुल किता 24 रकबा 20.45 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या लगायत 1 लगायत 12 का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादीया का 1/6 हिस्सा हे व वादिया अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार है जो राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज होती चली आ रही है वादीया के हक हिस्से में अन्य किसी व्यक्ति का हक हिस्सा नहीं है वाद वर्णित आराजीयात में वादिया का 1/6 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/18 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का 2/10 हिस्सा है। फसल काश्त करते समय व फसल को लेते समय आपस में विवाद होता रहता है जिससे विवादग्रस्त आराजीयात का

2.11.2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विधिवत रूप से बंटवारा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीया के वादवर्णित आराजीयात में 1/6 हिस्से के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा डालने से व आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने तक प्रतिवादीगणों को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अगर पाबंद नहीं किया गया तो वादीया को न पूर्ण होने वाली क्षति होगी व बहुवाद कार्यवाही कार्यवाही का सामना करना पडेंगा। प्रतिवादी संख्या 12 वादग्रस्त भूमि का लैण्ड लोर्ड होने से फरीक मुकदमा बनाया गया है। वादिया को वाद पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 30.08.16 को हुआ है तथा अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय व डिक्री 05.02.2021 को पारित कर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकडी से मंगवाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया गया तथा उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली सीरी वगैराह को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के 1/6 हिस्से जो उसके बंटवारा के जरिए प्राप्त हुआ है के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीया द्वारा 450 रूपए का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आरआरटी 2017(1)पेज 689, आरआरटी 2001(2)पेज 1233, आरआरडी 1995 पेज 475.

6. अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 7.6.2022 को धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अंदर मियाद मानते हुए अगली पेशी दिनांक तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा दिनांक 4.3.2021 के आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किया जाकर विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश प्रदान किया गया।

7. दिनांक 5.7.2022 को अपीलांट संख्या 13 गणपत सिंह द्वारा स्थगन आदेश को बढाए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसे स्वीकार करते हुए पूर्व स्थगन आदेश की अवधि दिनांक 10.8.2022 तक बढा दी गई।

8. दिनांक 15.12.2022 को अपीलांट अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट संख्या 7 का नाम तर्क करवाने हेतु निवेदन किया तथा बताया कि अपीलांट संख्या 7 भंवर कंवर का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिसान पूर्व से ही उक्त अपील में अपीलांट संख्या 8 व 9 होकर रिकार्ड पर मौजूद हैं।

9. प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया वाद शीर्षक का अवलोकन किया गया भंवर कंवर पत्नि भंवर सिंह कम संख्या 7 पर अपीलांट के तौर पर दर्ज है, और कम संख्या 8 पर दुर्गशसिंह पुत्र भंवर सिंह अपीलांट के तौर पर तथा कम संख्या 9 पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवर सिंह अपीलांट के तौर पर दर्ज है चूंकि भंवर कंवर के वारिसान पूर्व से ही अपीलांट के तौर पर दर्ज है ऐसी स्थिति में वारिसान को पत्रावली पर लेने हेतु अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट संख्या 7 भंवर कंवर पत्नि भंवर सिंह का नाम तर्क करने का आदेश दिया जाता है।

10. दिनांक 29.9.2023 को अपीलांट अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 10 ज्ञान कंवर पत्नि

2.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दशरथसिंह का स्वर्गवास दिनांक 16.6.2022 को हो चुका है जिनके विधिक वारिसान पहले से ही तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 हैं। इसलिए मृतक ज्ञान कंवर पत्नि दशरथ सिंह का नाम तर्क किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया वाद शीर्षक को देखा गया। ज्ञानकवंर पत्नि दशरथ सिंह रेस्पोडेट संख्या 10 के तौर पर दर्ज है और कम संख्या 11 पर उच्छवकंवर पुत्री दशरथसिंह, कम संख्या 12 पर ओम कंवर पुत्री दशरथसिंह, कम संख्या 13 पर हेमकंवर पुत्री दशरथसिंह तरतीबी रेस्पोडेंट के तौर पर दर्ज है चूंकि ज्ञान कंवर के वारिसान पहले से ही अपील में रेस्पोडेंट के तौर पर दर्ज है ऐसी स्थिति में अलग से वारिसान को पत्रावली पर लेने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। अतः अपीलांट अभिभाषक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा ज्ञान कंवर पत्नि दशरथ सिंह का नाम तर्क करने का आदेश दिया जाता है।

11. बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमियां ग्राम कनौज केकडी में स्थित है अधीनरथ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 गिरीराज कंवर द्वारा 53,188,209 आरटी एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया था उक्त दावा जमाबंदी संवत 2069–72 के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बटवारे के प्रकरण में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते है मगर वर्तमान अपीलांट 6 व 7 के पिता/स्वयं को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि यह सभी दावा दायरी के दिन सहकाश्तकार थे। किसी भी प्रतिवादी को प्रोपर तामिल नहीं की गई न्यायालय आदेशिका दिनांक 15.1.2018 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी 1 से 7 के द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा देते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। यह प्रकिया के अनुसार सही नहीं है, वादी के बयान दर्ज नहीं किए गए थे न ही कोई दस्तावेज एक्जीबिट किए गए। मौखिक साक्ष्य या शपथ पत्र के माध्यम से कुछ सिद्ध नहीं किया गया कोई साक्ष्य नहीं लिए गए। प्रारम्भिक डिकी दिनांक 5.2.2020 को जारी की गई। तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने का निर्देश दिया गया था मगर तहसीलदार मौके पर नहीं गया गिरदावर व पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कि गई है तहसीलदार ने मात्र निर्देश दिए है मगर खुद नहीं गए। पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ ने निर्देशित किया था कि तहसीलदार स्वयं मौका देखेगा इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा भी परिपत्र जारी किया गया है रेस्पोडेंट 1 गिरीराज कंवर के पति जीवित है। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर मात्र काउण्टर साईन किए है और रिपोट फारवर्ड की है। विभाजन सभी सहखातेदारों के नाम दर्ज भूमियों का प्रत्येक सहखातेदार बाबत पृथक–पृथक होगा। चाहे एक ही सहखातेदार द्वारा दावा लाया गया हो। फाईनल डिकी दिनांक 4.3.2021 को जारी की गई है प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जावे।

12. रेस्पोडेंट संख्या 3,6,9 के अभिभाषक द्वारा बहस में यह बताया कि वे भगवान सिंह के एलआर की तरफ से आए है। अधीनरथ न्यायालय में सहखातेदार होने के बावजूद भगवान सिंह को पक्षकार नहीं बनाया था। मगर फाईनल डिकी में इनका नाम आया है ऐसी डिकी शुरूआत से ही गलत मानी जाएगी। गिरदावर पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय मौका रिपोर्ट में तहसीलदार के पत्र का हवाला दिया है इसका मतलब यह है कि तहसीलदार मौके पर नहीं गया है। हमारा नाम दावे में नहीं था प्राथमिक डिकी में नहीं था फाईनल डिकी में भी नहीं है मगर बंटवारा प्रस्ताव में हमारा नाम दर्ज है। बहस के दौरान रेस्पोडेंट अभिभाषक 3,6,9 के द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया है। आरआरटी 1995 पेज 475 नोटिस जारी किया

2.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाना आवश्यक है(रूल 18–21 के तहत) आरआरटी 2017(1) पेज 689 (तहसीलदार को स्वयं मौका देखना होगा), आरआरडी 1996 पेज 164 आब्जेक्शन आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। आरआरटी 2001 (2)1233 –तहसीलदार को कमिशनर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। आरबीजे 2000 पेज 194 –बंटवारा सभी सहखातेदारों के मध्य आवश्यक रूप से किया जाए।

13. वकील रेस्पोडेट 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि भगवान सिंह स्वयं 96 प्रार्थना पत्र लगाकर अपील प्रस्तुत कर सकते थे। 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया इस अपील में भगवानसिंह के वारिस आए है मगर अभी भी 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया है। अपीलांट द्वारा भी 96 सीपीसी नहीं लगाया गया। तामिल बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.10.2016 को हमने वाद दायर किया था पत्रावली तामिल में दो साल रही फिर भी हाजिर नहीं हुए। दिनांक 15.1.2018 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया पहले सामान्य नोटिस दिए गए फिर रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजे गए फिर अंत में अखबार के माध्यम से सूचना दी गई मगर यह फिर भी नहीं आए। अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जाने के बिंदु पर उनके द्वारा बताया गया कि हमने घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया मात्र बंटवारे का वाद लेकर आए है इन्हे बंटवारा नहीं करवाना था और इनकी अपील मियाद बाहर है।

14. रिबूटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत की गई थी उसमें हमस हखातेदार के रूप में दर्ज थे हमे पक्षकार नहीं बनाकर फिर भी इनके द्वारा दावा चलाया गया दावा चलने योग्य नहीं था। 53(4) बंटवारे के वाद में प्रत्येक सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। हमें 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इनका दावा चलने योग्य ही नहीं था। तामिल में देरी पर इन्होंने बताया कि वादी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तलवाना ही पेश नहीं किया गया था। आज भी बटवारे बाबत हमारा कोई एतराज नहीं है विपक्षी ने बहस में राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ के निर्णय पर कोई बात नहीं की गई है इन्हे जो भूमि दी गई है उसमें हमारे मकान बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय में सीपीसी की प्रकिया का कोई पालन नहीं किया गया। वहां जमाबंदी को प्रदर्शित नहीं करवाया गया। दावे का सत्यापन बिना वादी के बयान के नहीं हो सकता है बंटवारे प्रस्ताव के फारवर्डिग लैटर पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है मगर वह स्वयं नहीं गए पक्षकार बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। विपक्षी 1 के महिला कहकर भावनात्मक मुददा नहीं बनाए क्यों कि इनका पति जीवित है। अंत में निवेदन किया कि प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावे।

15. बहस बहुपक्ष वकील सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 374/2016 गिरीराजकंवर बनाम जगन्नाथ सिंह अंतर्गत धारा 53,188,209 आरटी एक्ट दिनांक 17.10.2016 से 4.3.2021 का, निर्णय प्राथमिक डिकी निर्णय दिनांक 5.2.2020, अंतिम निर्णय डिकी दिनांक 4.3. 2021 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय से संबंधित वाद शीर्षक का अवलोकन किया गया उक्त वादपत्र में प्रयुक्त जमाबंदी ग्राम कन्नोज संवत 2069–2072 खाता संख्या नया 61 का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित खाते में 24 खसरा नम्बर है तथा रकबा 20.45 है0 दर्ज है। उक्त खाते की भूमियों में भगवानसिंह का नाम भी सहखातेदार के रूप में दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 1336 जरिए विरासत से भगवान सिंह के वारिसान का नाम दर्ज किया गया है। उक्त विवादित खाते में भंवर कंवर पुत्री चतरसिंह का भी नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। वाद शीर्षक एवं जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भगवान सिंह पुत्र चतर सिंह एवं भंवरकंवर पुत्री चतर सिंह को सहखातेदार होने के

2.11.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी

बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया। मगर फाईनल डिक्री में उनका नाम दर्ज किया गया हैं। जो उचित नहीं है। फाईनल डिक्री दिनांक 4.3.2021 का अवलोकन किया गया उक्त डिक्री में सिर्फ वादिया गिरीराज कंवर को अलग हिस्सा दर्ज करते हुए उन्हें विवादित भूमियों में कुल 7 खसरा नम्बर 3.40 है0 दिया गया है। जबकि शेष भूमि कुल खसरा नम्बर 19 रकबा 17.03 है0 बाकि सभी सहखातेदारों के नाम रखी गई है जबकि सभी सहखातेदारों के पक्ष में कौन कौन से खसरा नम्बर आए हैं यह बताते हुए बंटवारा किया जाना चाहिए जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 1.7.2020 को गिरदावर एवं पटवारी मौके पर पहुंचे है तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया है। तहसीलदार द्वारा मात्र दिनांक 13.7.2020 को उक्त बटवारा प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया है। उक्त मौका रिपोर्ट के अंतिम लाईन में यह अंकित किया है। संबंधित पक्षकारान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः तैयार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारों को बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तामिल का अवलोकन किया गया दिनांक 30.11.2016 को उपखण्ड अधिकारी केकडी के रीडर की ओर से विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन अपने हस्ताक्षर से जारी किए गए थे तथा सभी सम्मन में दिनांक 10.1.2017 सन् 2016 को दिन में प्रातःकाल 10 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 जगन्नाथ सिंह के नोटिस लेने से मना किया गया यह अंकित हैं प्रतिवादी संख्या 12 हेमकंवर, प्रतिवादी सख्या 2 भंवर कंवर, प्रतिवादी सख्या 3 दुर्गेश पुत्र भंवरसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 सुरेन्द्र पुत्र भंवर सिंह, प्रतिवादी सख्या 5 नारायण सिंह पुत्र चतर सिंह, प्रतिवादी संख्या 6 ज्ञानकंवर पत्नी दशरथसिंह, प्रतिवादी सख्या 7 हनुमानसिंह पुत्र दशरथसिंह, प्रतिवादी संख्या 8 भागीरथसिंह पुत्र दशरथसिंह, प्रतिवादी संख्या 9 गणपतसिंह पुत्र दशरथसिंह, प्रतिवादी संख्या 10 उच्छव कंवर पुत्री दशरथ सिंह, प्रतिवादी संख्या 11 ओमकंवर पुत्री दशरथसिंह द्वारा सम्मन लेने से मना किया गया है, यह तामिल रिकार्ड में अंकित किया गया है। जबकि लोक अदालत तारीख पेशी हेतु दिनांक 24.6.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा लोक अदालत केम्प में उपस्थित होने बाबत नोटिस में गिरीराज कंवर वादीया को गांव में निवास नहीं करना बताया है। रजिस्टर्ड एडी को देखा गया ओमकंवर, हेमकंवर, उच्छव कंवर को ससुराल में रहना बताया भागीरथ सिंह के घर पर ताला लगा होना बताया, गणपत सिंह को भीलवाडा रहना बताया तथा शेष अन्य ने नोटिस रजिस्टर्ड एडी नोटिस लेने से मना करना बताया गया। स्पष्ट है कि ओमकंवर, हेमकंवर, उच्छव कंवर उक्त प्रतिवादीया गांव में निवास नहीं करती है अपने ससुराल में निवास करती है और जो नोटिस प्रथम बार दिनांक 30.11.2016 को भेजे गए है वो कन्नोज गांव के पते पर ही भेजे गए है जो गलत है वादीया को यह चाहिए था कि उनके सही पते वाद पत्र मे अंकित कर दिए। गणपत सिंह को भी भीलवाडा में रहना बताया गया है जबकि उसकी तामिल कन्नोज ग्राम के पते पर बताई गई है जो गलत है। भागीरथ सिंह के मकान पर ताला होना बताया गया है ऐसी स्थिति में सीपीसी में जो प्रावधान है उनके तहत तामिल करवाने का प्रयास यथा चस्पांदगी आदेश उनके द्वारा नहीं किया गया ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल के मुददे की अवहेलना की गई है तथा आनन फानन में प्रकरण में आगे की कार्यवाही की गई है। जहां तक वकील रेस्पोडेंट एक के इस आक्षेप का सवाल है कि अपीलांट और रेस्पोडेंट 3,6,9 द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया। न्यायालय अपीलांट व रेस्पोडेंट 3,6,9 के अभिभाषक के जवाब से संतुष्ट है कि उन्हें पक्षकार बनाए बिना जब अंतिम बंटवारा/डिक्री में उनके नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

शामिल किए गए हैं तो अब उन्हें 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अपने निर्णय में उन्हें स्थान दिया गया है तथा उन्हें पृथक से 96 सीपीसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मियाद बिंदु बाबत रेस्पोडेंट 1 के अभिभाषक का आक्षेप है इस बाबत कई न्यायिक दृष्टांतों में यह बताया गया है कि एक बार मियाद बिदु का प्रश्न तय हो जाने के बाद उस पर दुबारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। न्यायालय द्वारा दिनांक 7.6.2022 को अपील को अंदर मियाद मानते हुए अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। अतः वकील रेस्पोडेंट 1 का मियाद बिंदु बाबत आक्षेप खारिज किया जाता है।

16. न्यायालय वकील रेस्पोडेंट 3, 6, 9 के दिए गए न्यायिक दृष्टांतो से पूरी तरह से सहमत है अधीनस्थ न्यायालय को नियम 18–21 की पालना करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। तहसीलदार को मौके पर उपस्थित होकर मौका प्रस्ताव तैयार करने हेतु राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के गाईडलाइन के अनुसार स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया। यहां तक की बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी नहीं किए जो नियम 18–21 की पूरी तरह से अवहेलना है। मात्र वादीया के हिस्से को अलग करके शेष रही भूमि को अन्य सभी सहखातेदारों के संयुक्त खाते में रखकर नियमों की घोर अवहेलना की है। ऐसे निर्णय व डिक्री को किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है। अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी केकडी के राजस्व वाद प्रकरण गिरीराज कंवर बनाम जगन्नाथसिंह व अन्य अंतर्गत धारा 53,188,209 प्रकरण संख्या 374/2016 निर्णय दिनांक 4.3.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियम 18–21 की पालना करते हुए नियमानुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए व तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर समुचित निर्णय प्रदान करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

2.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

18. निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

2.11.2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर